

# बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम

कौटिल्य नगर, पटना-14.

कार्यालय फोन- 0612.2950702

## अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना संख्या- 42/2023-24

- विज्ञापनदाता का पदनाम एवं पता : मुख्य अभियंता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय, पटना।
- निविदा आमंत्रित करने की तिथि : दिनांक- 11-12-2023
- निविदा कागजात बिक्री की तिथि एवं समय : दिनांक- 20-12-2023 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से 26-12-2023 अपराह्न 05.00 बजे तक।
- निविदा प्राप्ति की तिथि एवं समय : दिनांक- 27-12-2023 अपराह्न 03.00 बजे तक।
- निविदा खोलने की तिथि एवं समय : दिनांक- 27-12-2023 को 03.30 बजे अपराह्न से।
- परिमाण विपत्र का मूल्य : [Easypay.axisbank.co.in](http://Easypay.axisbank.co.in) के द्वारा किया गया भुगतान ही स्वीकार होगा, जो वापस नहीं किया जाएगा।
- परिमाण विपत्र की बिक्री का स्थान : (क) बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय।  
(ख) अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि०पु०भ०नि०, गेट न०-2, पटना।  
(ग) सम्बन्धित कार्य प्रमण्डल
- निविदा प्राप्ति का स्थान : (क) रु० 3.50 लाख से नीचे की निविदा संबंधित कार्य प्रमण्डल में  
(ख) रु० 3.50 लाख से उपर की निविदा बि०पु०भ०नि०, मुख्यालय एवं अधीक्षण अभियंता का कार्यालय, बि०पु०भ०नि०, गेट न०-2, पटना।
- कार्य का विवरणी :- :

क्रमांक	कार्य का नाम	कार्य० अभि०, बि०पु०भ० नि०, कार्य प्र०	प्राक्कलित राशि (लाख रु. में)	अग्रधन की राशि रु. में।	परिमाण विपत्र का मूल्य रु० में	कार्य समाप्ति की अवधि
1.	जहानाबाद जिलान्तर्गत काको थाना के शौचालय का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य। (पुनर्निविदा)	पटना	3.70	7400	750	2 माह
2.	अररिया जिलान्तर्गत पलासी थाना का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य। (पुनर्निविदा)	पूर्णियाँ	4.58	9200	750	2 माह
3.	अररिया जिलान्तर्गत आदर्श थाना भवन का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य। (पुनर्निविदा)	पूर्णियाँ	6.14	12300	1250	2 माह
4.	सहरसा जिलान्तर्गत सोनवर्षा थानाध्यक्ष के आवास का विद्युतिकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	पूर्णियाँ	5.20	10400	1250	2 माह
5.	अररिया जिलान्तर्गत सिकटी थाना परिसर के चाहरदिवारी का जिर्णोद्धार कार्य	पूर्णियाँ	7.96	16000	1250	2 माह
6.	दरभंगा जिलान्तर्गत पुरानी पुलिस केन्द्र स्थित 04 यू०एस० स्टाफ आवास O C के दरवाजे, खिड़की, फर्श, पेन्ट, बिजली वायरिंग, शौचालय फर्श, नाली एवं समरसेबुल बोरिंग का कार्य। (पुनर्निविदा)	दरभंगा	7.37	14800	1250	2 माह
7.	पटना जिलान्तर्गत वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के सरकारी आवास का विद्युतिकरण सहित मरम्मत कार्य।	पटना	7.73	15500	1250	2 माह
8.	पटना जिलान्तर्गत नवीन पुलिस लाईन में 36 सीटड शौचालय में बोरिंग एवं पानी आपूर्ति कार्य।	पटना	2.08	4200	500	2 माह
9.	बेगुसराय जिलान्तर्गत बि०वि०स०पु०-08 में समादेष्टा कार्यालय के छत का मरम्मत कार्य।	दरभंगा	2.54	5100	750	2 माह
10.	गया जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में मेस का मरम्मत कार्य	मगध	5.93	11900	1250	2 माह
11.	औरंगाबाद जिलान्तर्गत पुलिस केन्द्र में चाहरदिवारी का मरम्मत एवं रंग-रोगन कार्य।	मगध	8.67	17400	1250	2 माह

(Mujaykar) M...  
H...  
M...

H...

M...

B...

B...

क०पु०उ०...2/



12.	गोपालगंज जिलान्तर्गत महम्मदपुर थाना भवन, आवासीय भवन, महिला/पुरुष शौचालय/स्नानागार का विद्युतीकरण सहित विशेष मरम्मत कार्य।	मुजफ्फरपुर	6.00	12000	1250	2 माह
-----	---	------------	------	-------	------	-------

10. निविदा वैधता की अवधि 60 दिन होगी।
11. कोई भी संवेदक जो समुचित श्रेणी में निबंधित हो निविदा में भाग ले सकते हैं। स्थानीय क्षेत्र के लिए निबंधित निबंधन सिर्फ स्थानीय कार्य के लिए मान्य होगा। कार्य आवंटन आदेश होने के बाद बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम में समुचित श्रेणी में निबंधन कराना अनिवार्य होगा। अगर किसी संवेदक को पूर्व में निगम से कार्य किसी अन्य विभाग के निबंधन पर आवंटित हुआ है तथा उनके द्वारा अभी तक निगम में निबंधन नहीं कराया गया है तो वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
12. विद्युतीकरण सहित कार्य की निविदा के लिए विद्युतीकरण कार्य का लाईसेंस होना अनिवार्य होगा। विद्युतीकरण कार्य के संवेदक को सब कांट्रैक्टर के रूप में रखकर भी निविदा में भाग लिया जा सकता है जिसके लिए उभयपक्ष द्वारा इस आशय का शपथ-पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य होगा। सिर्फ विद्युतीकरण कार्य के लिए विद्युतीकरण कार्य के स्वयं का लाईसेंस अनिवार्य होगा।
13. इस निविदा की अन्य जानकारी एवं आवश्यक शर्तें अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय तथा प्रमण्डलीय कार्यपालक अभियन्ता के कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर कार्यावधि में देखी जा सकती है। इसके लिए सम्बन्धित पदाधिकारी से सम्पर्क भी तदनुसार किया जा सकता है।
14. वैसे संवेदक निविदा में भाग लेने से वंचित रहेंगे, जिन पर पूर्व से आवंटित योजना का कार्य अकारण लंबित चला आ रहा है या जो आवंटित कार्य का एकरारनामा निर्धारित समय के दौरान नहीं किये हैं, या फिर एकरारनामा के उपरांत निर्धारित समय में कार्य शुरू नहीं किये हैं। राज्य सरकार के किसी भी विभाग या संस्थान के किसी भी श्रेणी में काली सूची में डाले गए / निलंबन/डिबार किये गये संवेदक इस निविदा में भाग लेने हेतु पात्र नहीं होंगे।
15. परिमाण विपत्र की राशि अंक-गणितीय गणना में स्वीकृति के पश्चात घट/बढ़ सकती है। तदनुसार अग्रधन की राशि भी घट / बढ़ सकती है। निविदा आमंत्रण सूचना एवं परिमाण विपत्र की भाषा सांकेतिक है। समुचित अग्रधन राशि के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी।
16. परिमाण विपत्र का मूल्य [easypay.axisbank.co.in](http://easypay.axisbank.co.in) (Category-others) online भुगतान करने के उपरान्त प्राप्त Challan प्रस्तुत करने पर स्वीकार होगा। भुगतान से संबंधित link website ([bpbcc.co.in](http://bpbcc.co.in)) पर भी उपलब्ध है। परिमाण विपत्र का मूल्य किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जायेगी।
17. निविदा एकल बीड पद्धति से प्राप्त की जायेगी तथा संबंधित नियम एवं शर्तें लागू होगी।
18. परिमाण-विपत्र बिक्री के समय संवेदक निम्न वर्णित अद्यतन अभिलेखों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आवेदन के साथ प्रस्तुत करेंगे एवं उनकी मूल प्रति जाँच एवं अवलोकन हेतु प्रस्तुत करेंगे :- आयकर पैन नं०, GST निबंधन, उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र तथा जिला पदाधिकारी/पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त वैध चरित्र प्रमाण-पत्र।
19. निविदा के साथ भी निम्नलिखित सभी अद्यतन प्रमाण-पत्रों की पठनीय स्वप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य है। अन्यथा निविदा अमान्य समझी जायेगी। अद्यतन प्रमाण-पत्र प्राप्त करने हेतु आवेदन की प्राप्ति रसीद मान्य नहीं होगा। निविदाकार द्वारा समर्पित सभी प्रमाण पत्र की वैध अवधि निविदा आमंत्रण तिथि तक होना अनिवार्य है।
  - (i) उचित श्रेणी का निबंधन प्रमाण-पत्र।
  - (ii) कम्पनी एक्ट के तहत निबंधित संवेदक को निविदा के साथ Certificate of Incorporation, Memorandum of Association and Article of Association तथा Partnership firm/ LLP में Partnership Deed संलग्न करना अनिवार्य होगा।
  - (iii) पैन कार्ड की छायाप्रति।
  - (iv) GST निबंधन प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
  - (v) वैध चरित्र प्रमाण पत्र।
  - (vi) अग्रधन की राशि (EMD)
  - (vii) शपथ पत्र मूल में
20. निविदाकार या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा निविदा में संलग्न सभी कागजातों पर बायें तरफ हस्ताक्षर करना अनिवार्य है।
21. अग्रधन की राशि (Earnest Money) के रूप में 6/5 वर्षीय राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र/ सावधि जमा/ किसान विकास पत्र जो कार्य से संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से विधिवत रूप से प्रतिज्ञापित किया हुआ हो, मान्य होगा। अगर पूर्व के किसी कार्य में प्रतिज्ञापित हो तो कार्यपालक अभियन्ता द्वारा प्रमाणित हो कि कार्य पूर्ण होने के उपरांत विधिवत् कार्य के नाम तथा वापसी तिथि के साथ वापस किया गया हो। बैंक ड्राफ्ट, जो कार्य के संबंधित कार्यपालक अभियन्ता के पदनाम से निविदा आमंत्रित करने की तिथि के बाद का बना हुआ हो, मान्य होगा। पर्याप्त अग्रधन के अभाव में निविदा अमान्य समझी जायेगी। निविदा के साथ अग्रधन (Earnest Money) की राशि के रूप में डिमान्ड ड्राफ्ट के पीछे निविदाकार का नाम, निविदा सूचना सं० तथा ग्रुप सं० अंकित कर समर्पित किया जायेगा।
22. अग्रधन के संबंध में तथा अन्य शर्तें परिमाण विपत्र के साथ अभिलेख में देखी जा सकती है।



23. परिमाण विपत्र बिक्री की तिथि या निविदा प्राप्ति/खोलने की तिथि के दिन किसी कारणवश सरकारी अवकाश घोषित हो जाने पर यह तिथि अगले कार्य दिवस को स्वतः निश्चित समझा जायेगा ।
24. निविदा कागजात अध्याय-6 कंडिका-6.11 में निविदाकार द्वारा निविदा के साथ संलग्न किए गए सभी कागजातों की विवरणी अंकित करना अनिवार्य है। निविदा खोलने के समय निविदाकार या उनके प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे एवं संलग्न किये गये कागजात को अंकित विवरणी के अनुसार मिलान कर चेक लिस्ट पर हस्ताक्षर करेंगे एवं एक प्रति हस्ताक्षरित चेक लिस्ट प्राप्त करेंगे अन्यथा बाद में किसी प्रकार का दावा स्वीकार नहीं होगा। साथ ही निगम द्वारा निदेशित अभिलेखों / उपस्थित पंजी पर हस्ताक्षर करेंगे।
25. निविदादाताओं द्वारा निविदा में भाग लेने के पूर्व कार्य स्थल, प्राक्कलन एवं क्वैरी साईट इत्यादि की स्थिति एवं निर्माण सामग्रियों की उपलब्धता से पूर्णरूप से संतुष्ट होने के पश्चात् ही निविदा जमा करने का परामर्श दिया जाता है। इस संबंध में बाद में किसी भी प्रकार का दावा भविष्य में मान्य नहीं होगा। परियोजना का विस्तृत प्राक्कलित लागत राशि गणना मात्र है, और तकनीकी विशिष्टियों एवं मानक गुणवत्ता के अनुसार कार्य करने के क्रम में क्वैरी परिवर्तन (Lead chart) के अनुसार कोई दावा मान्य नहीं होगा।
26. डिफेक्ट लाईबिलिटी पिरियड एक वर्ष का होगा। यह तिथि Successful handing over of Project date से लिया जायेगा।
27. कुल प्राक्कलित राशि में वास्तविक खर्च का एक प्रतिशत राशि श्रमिकों के लिए कोष (Labour cess) के रूप में बिल भुगतान के समय काट लिया जायेगा। बिहार सरकार खान एवं भूतत्व विभाग के अद्यतन नियमानुसार मालिकाना फीस (Seigniorage Fees) एवं स्वामित्व (Royalty) की कटौती/वसूली संवेदक के विपत्रों से की जायेगी, तद्आलोक खान एवं भूतत्व विभाग में जमा की जायेगी।
28. बिना कारण बताये निविदा या उसके अंश को अस्वीकृत करने/रद्द करने/निविदा तिथि का विस्तार करने का अधिकार सक्षम प्राधिकार को सुरक्षित है।
29. एकाधिक सफल निविदाकारों का उद्धृत दर समान होने पर लॉटरी के आधार पर चुने गये निविदाकार के साथ दर वार्ता की जा सकती है एवं नियमानुसार कार्य आवंटित किया जायेगा ।
30. कार्य की गुणवत्ता के लिए संवेदक पूर्ण रूप से जिम्मेवार (Responsible) होंगे। कार्य की गुणवत्ता की जाँच राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (NABL) से मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला/ भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) / अभियंत्रण संस्थान/ सरकारी प्रयोगशाला से अपने खर्च पर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय में स्थित गुणनियंत्रण प्रयोगशाला में कराना अनिवार्य है। जाँचफल प्रतिवेदन, संबंधित कार्य प्रमण्डल में समर्पित करने के पश्चात् ही, किये गये कार्य का भुगतान होगा।
31. किसी कार्य की प्रथम वार एकल निविदा प्राप्त होने पर उसकी पुनर्निविदा के रूप में आमंत्रित की जायेगी। निविदाकारों द्वारा जमा किये गये अग्रधन की राशि पर किसी प्रकार का सूद निगम द्वारा देय नहीं होगा। कार्य से सम्बन्धित पूर्ण विवरणी परिमाण विपत्र में देखी जा सकती है। संबंधित कार्यों का आवंटन उपलब्ध रहने पर ही भुगतान किया जायेगा।
32. संवेदक कार्य में समुचित अनुसूचित दर एवं बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम के मुख्य अभियंता द्वारा अनुमोदित विशिष्टि के अनुसार सामग्रियों का उपयोग/प्रयोग करेंगे।
33. माननीय उच्च न्यायालय, पटना के CWJC No.- 9941/2022 दिनांक- 06-07-2023 के द्वारा पारित न्यायादेश के क्रम में पथ निर्माण विभाग, पटना के पत्रांक- प्र0- 7/मुक0-02-25/ 2022- 4439 (E) पटना, दिनांक- 17-07-2023 को निर्गत आदेश के द्वारा पथ निर्माण विभाग के पत्रांक- 2046 (S) दिनांक- 06-03-2014 को अगले आदेश तक Stay (स्थगित) किया गया है। तद्आलोक में पथ निर्माण विभाग की अधिसूचना 447(S) दिनांक- 16-01-2020 सह पठित ज्ञापांक- 448(S) दिनांक- 16-01-2020 के आलोक में प्रतिशत दर निविदा पद्धति में निविदित दर की न्यूनतम सीमा को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है साथ ही परिमाण विपत्र की दर से कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए पथ निर्माण विभाग का अधिसूचना सं0 448/पटना दिनांक 16.01.2020 के अन्तर्गत Additional Performance Guarantee लेने का प्रावधान किया जाता है। तद्आलोक में Additional Performance Guarantee एकरारनामा के पूर्व निम्न प्रकार से लिया जाएगा। पथ निर्माण विभाग द्वारा निर्गत अथवा भविष्य में निर्गत होने वाले सभी परिपत्र निविदा पर लागू होगा।
  - a) परिमाण विपत्र की दर से 0 से 5 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.25 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - b) परिमाण विपत्र की दर से 5 से 15 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 0.5 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।
  - c) परिमाण विपत्र की दर से 15 से 20 प्रतिशत कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 01 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*

*(Signature)*



d) परिमाण विपत्र की दर से 20 प्रतिशत से उपर कम उद्धृत दर वाले निविदा के लिए 02 प्रतिशत अतिरिक्त कार्य प्रतिभू (Additional Performance Guarantee) प्रति 01 प्रतिशत उद्धृत कम दर के लिए लिया जायेगा।

34. निम्नलिखित आशय का शपथ पत्र मूल में समर्पित करना अनिवार्य है-

(क) मेरे/हमारे विरुद्ध किसी प्रकार का आपराधिक मामला किसी भी न्यायालय में विचाराधीन नहीं है।

(ख) मुझे/हमें किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी प्रतिष्ठान द्वारा वंचित (Debar), काली सूची में दर्ज (Blacklisted) एवं विगत एक वित्तीय वर्ष के अन्दर एकरारनामा रद्द (Rescind) नहीं किया गया है। एकरारनामा के पश्चात् निर्धारित अवधि में कार्य प्रारम्भ कर दिया हूँ। कार्य आवंटन के उपरान्त निर्धारित अवधि में एकरारनामा लंबित नहीं है। एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति की तिथि के पश्चात् अकारण कार्य लंबित नहीं है।

(ग) मेरा/हमारा कोई निकटतम संबंधी (अभिप्रेत है पति/पत्नी, माता/पिता, भाई/बहन तथा इस तरह के ससुराल पक्ष के संबंधी) संबंधित कार्य प्रमंडल में कनीय अभियन्ता/सहायक अभियन्ता/ कार्यपालक अभियन्ता/प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी/लेखापाल के रूप में कार्यरत नहीं है।

(घ) निविदा में संलग्न सभी प्रमाण-पत्र, कागजात एवं विवरणी सत्य है। उनके गलत या जाली पाये जाने पर मेरा निविदा अमान्य करने के लिए निगम स्वतंत्र होगा।

(ङ) उपर्युक्त कंडिका 'क', 'ख', एवं 'ग' में गलत सूचना देने का दोषी पाये जाने अथवा कंडिका 'घ' में अंकित किसी अभिलेख के जाली पाये जाने पर सक्षम प्राधिकार मेरे ऊपर विधि सम्मत दण्ड यथा मेरे निबंधन को काली सूची में दर्ज करने तथा प्राथमिकी दर्ज करने की कार्रवाई के लिए स्वतंत्र होंगे।

35. जाँच के क्रम में कोई भी अभिलेख गलत पाए जाने पर बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी।

36. निविदाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-मेल पर, निगम की ओर से प्रेषित कोई भी सूचना आधिकारिक तौर पर उन्हें प्रदत्त / उपलब्ध मानी जायेगी।

मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 140 4578C

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-

कार्यपालक अभियन्ता, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मोनिरिंग शाखा/ कार्य प्रमण्डल- पटना प्रमण्डल/पूर्णियाँ प्रमण्डल/ भागलपुर प्रमण्डल/ दरभंगा प्रमण्डल/मुजफ्फरपुर कैम्प हाजीपुर/मगध प्रमण्डल कैम्प डेहरी ऑन सोन एवं राजगीर प्रमण्डल, राजगीर को सूचनार्थ एवं आवश्यक क्रियार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4578

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-

अधीक्षण अभियंता, कार्य अंचल- 1/2, बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना/ कार्यपालक अभियंता, प्रमंडल- एवं मोनिरिंग/ विद्युत/ सहायक प्रावैधिक सचिव/ निरूपण-1/2/ सचिव/ मुख्य लेखापदाधिकारी/ सहायक अभियन्ता-2/कार्यालय अधीक्षक (कार्य), बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, मुख्यालय पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

ज्ञापांक- एच0क्यू- 4578

पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि-

पुलिस अधीक्षक, पटना/ जहानाबाद/ अररिया/दरभंगा/ गया/ सहरसा/ अररिया/ गोपालगंज एवं औरंगाबाद को सूचनार्थ प्रेषित ।

मुख्य अभियंता,

बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम, पटना ।

(Signature)

(Signature)